

माग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3054

मद कर्मांक 1

राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों का अनुरक्षण, विशेष मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में इस वर्ष 100.00 लाख की आवश्यकता है। जिस पर इस वर्ष 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 2

जिला एवं अन्य सड़कों के लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत डामरीकरण हेतु 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 3

राज्य शासन ने अधिग्रहित भूमि मुवाअजा भुगतान का निर्णय लिया गया है। जिस पर इस वर्ष रूपये 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5053

मद कर्मांक 4

राज्य शासन ने राज्य में हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार करने का निर्णय लिया है। जिस पर इस वर्ष रूपये 18.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 5

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में निमार्णाधीन रेलवे ओव्हर ब्रिज, अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु रूपये 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद कर्मांक 6

राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि से निम्नलिखित सड़क मार्गों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने का निर्णय लिया गया है:-

1. जिला दुर्ग-दुर्ग धमधा बेमेतरा मार्ग के कि.मी. 55 से 58 तक 4 कि.मी. (लागत रूपये 58.44 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।
2. जिला दुर्ग-दुर्ग धमधा बेमेतरा मार्ग के कि.मी. 61/6 से 76/8 तक (लागत रूपये 449.99 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है।
3. जिला दुर्ग-राजनांदगांव अर्जन्दा गंडरदेही मार्ग के कि.मी. 6/8 से 16/10 तक (लागत रूपये 304.02लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।
4. जिला दुर्ग-करेसरा-खम्हरिया सिल्हाटी मार्ग के कि.मी. (लागत रूपये 292.88 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।
5. जिला दुर्ग-डाली चौक बालोद रोड से कपिलेश्वर मंदिर तक पहुंच मार्ग लम्बाई 2.25 कि.मी. (लागत रूपये 12.23 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।
6. जिला दुर्ग- काडे नारागांव स्यादेही रोड निर्माण लम्बाई 3.80 कि.मी. (लागत रूपये 44.85 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।
7. जिला रायपुर-महाराजी से पवित्र छोटा पहाड़ पहुंच मार्ग लम्बाई 2.5 कि.मी. (लागत रूपये 45.72 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

8. जिला कांकेर-कांकेर सरोना मार्ग का निर्माण लम्बाई 17 कि.मी. (लागत रूपये 409.81लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।
9. जिला बस्तर-कोण्डागांव अमरावती एरला रोड 1 से 15 कि.मी. (लागत रूपये 416.17 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।
10. जिला बस्तर-कोण्डागांव अमरावती एरला रोड 16 से 20 कि.मी. (लागत रूपये 419.60 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।
पूर्व से प्रचलित कार्यों के लिये इस वर्ष राशि रूपये 1000.00 लाख की तथा नवीन कार्यों के लिये 100.00 लाख की आवश्यकता है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 7

राज्य शासन ने निम्नलिखित सड़क कार्यों को नाबार्ड योजना के मद से विलोपित करते हुए आयोजना मद में निर्माण करने का निर्णय लिया है । यह मद परिवर्तन मात्र है ।

1. जिला महासमुंद-तोरेसिंगा तोषगावं गढफुलझर सल्डीह देवरी मार्ग में डब्ल्यू बी.एम. एवं 40 नग पुल पुलियों का निर्माण अनु. लागत रूपये 267.00 लाख । इस वर्ष राशि रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. जिला महासमुंद-झलप रायतुम अचानकपुर मार्ग ल. 18 किमी. अनु. लागत रूपये 155.00 लाख । इस वर्ष राशि रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
जो विभागीय बचत से किया जावेगा ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 8

राज्य शासन ने एन्यूटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सड़क निर्माण हेतु संयुक्त उपक्रम का निर्माण किया जाना है, जिसमें राज्य शासन द्वारा रूपये 500.00 लाख के निवेश करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।